



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई०

माघ 24, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
कृषि अनुभाग

संख्या 351/कृषि/2000-2001

देहरादून, 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प० आ०—०२१

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 13 के उपखण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित एन० पी० के० और एन० पी० उर्वरक के मिश्रण की निम्नलिखित मानक विनिर्दिष्टियाँ उपर्युक्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से कोई व्यक्ति एन० पी० के० और एन० पी० उर्वरक के किसी मिश्रण के विनिर्माण का कारोबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा मिश्रण अनुसूची में उपर्युक्त विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न हो :

अनुसूची

उर्वरक का नाम	विनिर्दिष्टियाँ
1	2
एन० पी० के० 15 : 15 : 10	(1) भार के अनुसार आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम 1.5
	(2) भार के अनुसार नाइट्रोजन का कुल प्रतिशत न्यूनतम 15.0

उत्तरांचल असाधारण गजट, 13 फरवरी, 2001 ई० (माघ 24, 1922 शक सम्वत्)

1	2
(3) भार के अनुसार न्यूट्रल, अमोनियम साइट्रेट विलय फास्फेट (यथा पी॒ ओ५) का प्रतिशत न्यूनतम	15.0
(4) भार के अनुसार जल का विलय (यथा पी॒ ओ५) का प्रतिशत न्यूनतम	12.0
(5) भार के अनुसार जल का विलय पोटास (यथा के॒ ओ५) का प्रतिशत न्यूनतम	10.0
(6) कण का आकार ऐसा होगा कि पदार्थ का 90 प्रतिशत 4 मिलीमीटर भारतीय मानक छलनी से छन जायेगा और एक मिलीमीटर भारतीय मानक छलनी में रह जायेगा।	
(1) भार के अनुसार आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	1.5
(2) भार के अनुसार नाइट्रोजन का कुल प्रतिशत न्यूनतम	20.0
(3) भार के अनुसार न्यूट्रल, अमोनियम साइट्रेट विलय फास्फेट (यथा पी॒ ओ५) का प्रतिशत न्यूनतम	20.0
(4) भार के अनुसार जल का विलय (यथा पी॒ ओ५) का प्रतिशत न्यूनतम	16.0
(5) भार के अनुसार जल का विलय पोटास (यथा के॒ ओ५) का प्रतिशत न्यूनतम	10.0
(6) कण का आकार ऐसा होगा कि पदार्थ का 90 प्रतिशत 4 मिलीमीटर भारतीय मानक छलनी से छन जायेगा और एक मिलीमीटर भारतीय मानक छलनी में रह जायेगा।	
(1) भार के अनुसार आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	1.5
(2) भार के अनुसार नाइट्रोजन का कुल प्रतिशत न्यूनतम	20.0
(3) भार के अनुसार न्यूट्रल, अमोनियम साइट्रेट विलय फास्फेट (यथा पी॒ ओ५) का प्रतिशत न्यूनतम	20.0
(4) भार के अनुसार जल का विलय (यथा पी॒ ओ५) का प्रतिशत न्यूनतम	16.0
(5) कण का आकार ऐसा होगा कि पदार्थ का 90 प्रतिशत 4 मिलीमीटर भारतीय मानक छलनी से छन जायेगा और एक मिलीमीटर भारतीय मानक छलनी में रह जायेगा।	

एन० पी० २० : २० : १०

एन० पी० २० : २०

is
F

आज्ञा से,
(डा० आर० एस० टोलिया)
प्रमुख सचिव,
वन एवं ग्राम्य विकास।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 934.....Dated 24..... for general information.

Government of Uttarakhand
Agriculture and Marketing Section -1
No.934 /XIII (1)2010-1(18)2010
Dehradun, dated 24 September, 2010

Notification

In exercise of the powers conferred by clause 27 and 29 of the Fertilizer (Control) Order, 1985 read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act No. 10 of 1897) and the provisions of the Essential Commodity Act, 1955 (Central Act No. 10 of 1955), the Governor is pleased to appoints Assistant Agriculture Officer, Grade-1 as analyst for analyzing Fertilizer samples received at Fertilizer Quality Control Lab, situated works the premises of Directorate of Agriculture, Nanda Ki Chauki, Prem Nagar, Dehradun, in addition of their other

By order,
Om Prakash
(Om Prakash)
Secretary